वित्तीय स्वीकृति

संख्या-60/2015/2594/52-3-15-बजट(08)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण,

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 27 नवम्बर, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र के पत्र : 0-876/52-3-15-□□□(08)/2015 दिनांक 21.4.2015 के अनुक्रम में तथा आपके पत्र 0-2703/□0□0□0□□0-52/□□□/□□□-प्रा0वि0/2015-16 दिनांक 29.10.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 21,17,31,000/- □□ सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 10,58,65,000/- की धनराशि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 21.4.2015 द्वारा कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखी जा चुकी है तथा रू0 10,58,66,000/- की धनराशि अवशेष है।

प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये योजनान्तर्गत आय व्ययक में अवशेष धनराशि रू0 10,58,66,000/- के सापेक्ष रू0 08,00,00,000/-(रू0 आठ करोड़ मात्र) स्वीकृत करते हुये निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन □□ 31.03.2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) □□□□□□ □□ □ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □ □-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-800-अन्य व्यय- आयोजनेत्तर-03-मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना -20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□□ □□□) □□□□□□□□□□ □□□□□□

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई0-11-1259/□□-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

<u>संख्या-2594(1)/52-3-15-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं□आवश्यक कार्यवाही हेतु□प्रेषित:-

1 □□□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□□

2 □□□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□□

3 मुख्य कोषाधिकारी के□□□□□ □□□□□

4 कोषाधिकारी जन□□□ □□□ □□□□/वित्त एवं□लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□ □0प्र0 □□□□□

5 रजिस्ट्रार उ0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□ □□□□□

6 कम्प्यूटर आ□□□□ अल्पसंख्यक कल्याण □□0-3 □□ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□

7 गार्ड □□□□

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
□□□□□□